



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 5231

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44963 सन् 2025

धर्मवीर

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- श्री कांत केशरवानी, तान्या श्री

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- मोहद. रेहान अंसारी, मोहद. अहमर रिज़वान अंसारी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री श्री कांत केशरवानी, याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, मोहद. रेहान अंसारी, प्रथम सूचना दाता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

यह जमानत आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-याचीकाकर्ता धर्मवीर की ओर से मामला अपराध संख्या 378 सन् 2025, धारा 137(2), 75, 87 बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत, थाना - मउऐमा, जिला - प्रयागराज में जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।

याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-याचीकाकर्ता निर्दोष है। उसे इसी मामला अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 05.10.2025 से जेल में बंद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.09.2025 को दर्ज की गई, जो 25.09.2025 को घटित घटना के लिए बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के दो दिन की देरी से, याचीकाकर्ता तथा एक अन्य सह-अभियुक्त विनीत कुमार के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज की गई कि घटना की तारीख को उसकी नाबालिग पुत्री और उसकी दो सहेलियाँ लापता हो गईं और यह आशंका है कि याचीकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त उन्हें बहला-फुसलाकर ले गए हैं। याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पीड़िता ने धारा 180 और 183 के अंतर्गत अपने बयानों में कहा है कि वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचीकाकर्ता के साथ संबंध में थी और वह याचीकाकर्ता के साथ अपनी स्वेच्छा से गई थी तथा याचीकाकर्ता ने उसे बहला-फुसलाया नहीं था। याचीकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचना दाता के विद्वान अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि याचीकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-याचीकाकर्ता, **धर्मवीर**, जो उपरोक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि में दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. याचीकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. याचीकाकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. याचीकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. याचीकाकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।